संख्याः-426/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
भवाली, नैनीताल
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 17 जून,2009

विषयः-द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु नगरपालिका परिषद् की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की धनराशि का वित्तीय वर्ष 2009-10 में संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में अवमुक्त धनराशि उपयोगिता प्रमाण-पत्र ना मिलने के कारण उनको देय समनुदेशन से समायोजित किया गया था।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकाय की अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के कारण रोकी गई धनराशि **रू0 364000.00 (रू0 तीन लाख चौसठ हजार मात्र)** को अवमुक्त करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः-

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

16/6/2009

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

संख्याः– 420 (1)/XXVII(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3— मण्डलायुक्त, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4— निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— जिलाधिकारी, नैनीताल,उत्तराखण्ड।
6— मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, भवाली/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7— विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
8— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9— एन0 आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

16/6/2009

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित